कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड–शाहपुरा जिला–शाहपुरा

क्रमांक :– अ0अ0 / शाह0 / 2024–25 / निविदा / 978 – 993 दिनांक– 3/7/24

नीलामी सूचना निविदा संख्या 20 / 2024–25 UNB No..............................

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड–शाहपुरा में स्थित भण्डार प्रांगण में दिनांक 23..07.2024 को अनुपयोगी नकारा सामानों की निलामी दोपहर 1.00 बजे से लोट / वजन के आधार पर की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 23.07.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक पुस्तक मूल्य की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (न्युनतम 500 / – एवम् अधिकतम 125000 / –) की डी.डी. / बैंकर्स चैक EE PHED Division Shahpura के नाम पर जमा कराने के पश्चात् ही निलामी में भाग ले सकते है। यदि किसी कारणवश कोई माल उस दिन नीलाम नहीं किया जा सका तो निलामी की आगामी दिनांक से अवगत करा दिया जावेगा। निलामी संबंधीी पूर्ण अधिकारर निलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा। निलामी किये जाने वाले सामानों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नीलाम किये जाने वाले सामान का विवरण	समान का पुस्तक मूल्य (लाखों में)
1	सी.आई. स्क्रेप	0.51
2	एम. एस. एण्ड जी.आई. स्क्रेप	35.06
3	इलेक्ट्रिक स्क्रेप	7.08
4	जी.एम. स्क्रेप	0.05
5	सबमर्सिबल पम्प व मोटर स्क्रेप	6.20
6	सबमर्सिबल मोनों ब्लॉक पम्प सैट स्क्रेप	6.61
7	मोनो ब्लॉक पम्प सैट स्क्रेप	4.90
8	सिलेण्डर बॉडी स्क्रेप	1.92
	योग :–	62.33

विभागीय शर्ते :–

1	इच्छुक खरीददार उपरोक्त वर्णित सामग्री का निरीक्षण इस विभाग के खण्डीय भण्डार में आकर कर सकते है।
2	बोली में आने वाले व्यक्ति को अमानत राशि उपरोक्तानुसार जमा करानी होगी। खरीद न करने वाले की अमानत राशि निलामी समाप्त हाने के पश्चात् उसी दिन टोकन व रसीद प्रस्तुत करने पर ही लौटायी जायेगी।
3	निलामी बोली छूटने पर बोली की राशि का 25 प्रतिशत उसी दिन जमा कराना होगा, शेष 75 प्रमिशत राशि निलामी तिथि से 7 दिवस में जमा कराकर माल प्राप्त कर सकेगे। उक्त अवधि में शेष राशि जमा नहीं कराने पर जमा राशि जब्त मानी जावेगी। इसमें कोई विवाद मान्य नहीं होगा। निलामी मात्रा में कमी / बेशी का अधिकारर निलामी समिति को होगा।
4	निलामी के पश्चात् खरीददार को नियमानुसार जी.एस.टी / उन्य समस्त कर जमा करना हसेगा । निलामी तिथि से 15 दिवस की असधि में माल उठाना होगा, अन्यथा भण्डार में पड़े रहने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिकतम एक माह की अवधि तक किराया चार्ज होगा। उसके पश्चात् भी माल न उठाने परर निलामी स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं जमा राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
5	जो माल जहां है, जैसा है उस स्थिति मे ही लोट / वजन के अनुसारर नीलाम किया जायेगा।
6	निलामी बोली लगने के पश्चात् सामान का उचित मूल्य नहीं मिलने पर निलामी रिस्त करने क्रा पूर्ण अधिकार निलामी समिति को होगा।
7	निलामी छोड़ने के तत्काल बाद में सामान की कमी / चोरी अथवा अन्य किसी क्षति के लिए संबंधित पार्टी स्वयं जिम्मेदार होगी। विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
8	बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि की डी.डी. / बैंकर्स चैक के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर / सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निलामी बोली मे बोलीदाता भाग नहीं ले सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner